प्रेषक,

संख्या: 4/239/12-5-2015-19/2015

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 30 मार्च , 2015

विषय: तीन निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों के स्थान पर तीन सियाज कार को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0/985/2014-15, दिनांक 20 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में तीन निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों यू0पी-32-2073,यू0एच0एफ0-1237 व यू0ए0जी0-0011 के स्थान पर तीन सियाज वी0एक्स0आई0 कार को डी0जी0एस0एन्ड0डी0 की दरों पर क्रय किये जाने एवं उसके सापेक्ष होने वाले व्यय का वहन करने के लिए आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 25.00 लाख के सापेक्ष प्रति कार रू0 678704/- की दर से कुल रू0 2036110/-(रू0 बीस लाख छत्तीस हजार एक सौ दस मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम

Shasanadesh.up.nic.in

इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण- आयोजनेत्तर-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-03-मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण कार्यक्रम के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा ।

5- इस अनुदान पर क्रय संबंधी समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-205/दस-2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 239(1)/12-5-2015 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

2- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

shasanadesd.up.nic.in